कार्यालयः–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

आम सूचना

सर्वसधारण को यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय पत्रांक–230 दिनांक–08.06.2020 द्वारा मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत आम बागवानी के लिये लातेहार जिला अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2020–21 में प्रखण्ड–लातेहार, चंदवा, बालूमाथ, बारियातु, हेरहंज, मनिका, बरवाडीह, गारू एवं महुआडांड़ के विभिन्न पंचायतों के चिन्हित स्थलों पर आम पौधा, अमरूद पौधा एवं नीम्बू पौधा के आपूर्ति हेतु राज्य सरकार द्वारा 15 (पंद्रह) पौधशालाओं (Nursery) को सूचीबद्ध (Empanelled) किया गया है। उक्त आपूर्तिकर्ता से पौधा क्रय करने के लिये न्यूनतम क्रय दर निर्धारण हेतु कोटेशन के लिये आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु अपरिहार्य कारणवश निविदा निष्पादित नहीं की जा सकी। जिसका PR 229168 (Rural Development) 20-21 *D है। बागवानी के लिये अनुमानित पौधा की संख्या यथा– आम पौधा– 67,200, अमरूद पौधा– 5600 एवं नींबू पौधा–4000 की आवश्यकता है। अतः राज्य द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) 15 (पंद्रह) पौधशालाओं (Nursery) के निविदादाता में से वैसे निविदादाता जिनके पास अपर मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक– 526 दिनांक– 03.06.2020 द्वारा NHB Certificate के अनुसार उपलब्ध पौधों की संख्या लातेहार जिला में पौधों की आवश्यकता की संख्या के अनुरूप हो वैसे निविदादाता से आम, अमरूद एवं नींबू **पौधा** के कय हेतु कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में **दिनांक–**26·06·2020 **तक पूर्वाह्न/अपराह्न** 11:00 **बजे** कार्यालय अवधि में **जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार** में निविदा आमंत्रित की जाती है। समर्पित निविदा दिनांक–26·06·2020 को **पूर्वाह्न/अपराह्न** 12:00 **बजे** जिला जिला क्रय समिति एवं निविदादाता के समक्ष खोली जायेगी। पौधों की संख्या में मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप कमी या वृद्धि हो सकती है।

सामग्री आपूर्ति से संबंधित विस्तृत विवरणी जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के सूचना पट्ट एवं लातेहार जिला के Website- www.latehar.nic.in पर देखा जा सकता है।

Sd/- 17/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
लातेहार।

कार्यालयः–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार।

अति अल्पकालीन निविदा (Very Short Term Tender)

(इच्छा की अभिव्यक्ति)

मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक–(N)1720 (अनु0) दिनांक–18.06.2018 एवं अपर मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची का पत्रांक– 526 दिनांक– 03.06.2020 के आलोक में मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के लिये वित्तीय वर्ष– 2020–21 में लातेहार जिला के 09 प्रखण्ड के विभिन्न पंचायतों में योजना स्थल पर बागवानी के लिये कलमी आम, अमरूद एवं नींबू का पौधा क्रय किया जाना है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा आम, अमरूद एवं नींबू के पौधा आपूर्ति करने हेतु 15 (पंद्रह) पौधशालाओं (Nursery) को सूचीबद्ध (Empanelled) किया गया है। उक्त आपूर्तिकर्ता से पौधा क्रय करने के लिये न्यूनतम क्रय दर निर्धारण हेतु कोटेशन के लिये आपूर्तिकर्ताओं से मुहरबंद निविदा आमंत्रित की गई थी परन्तु अपरिहार्य कारणवश निविदा निष्पादित नहीं की जा सकी। जिसका PR 229168 (Rural Development) 20-21 *D है। बागवानी के लिये अनुमानित पौधा की संख्या यथा– आम पौधा– 67,200, अमरूद पौधा– 5600 एवं नींबू पौधा–4000 की आवश्यकता है। अतः राज्य द्वारा सूचीबद्ध (Empanelled) 15 (पंद्रह) पौधशालाओं (Nursery) के निविदादाता में से वैसे निविदादाता जिनके पास अपर मनरेगा आयुक्त, झारखण्ड, रांची के पत्रांक– 526 दिनांक– 03.06.2020 द्वारा NHB Certificate के अनुसार उपलब्ध पौधों की संख्या लातेहार जिला में पौधों की आवश्यकता की संख्या के अनुरूप हो वैसे निविदादाता से आम, अमरूद एवं नींबू **पौधा** के कय हेतु कोटेशन मुहरबंद लिफाफे में निविदा आमंत्रित की जाती है। इसके अतिरिक्त अन्य पौधशालाओं (Nursery) की समर्पित निविदा अमान्य होगी। पौधों की संख्या में मांग एवं आवश्यकता के अनुरूप कमी या वृद्धि हो सकती है।

मनरेगा अन्तर्गत बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी के लिये पौधा के आपूर्ति हेतु आवेदक द्वारा संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी–सह–मुख्य कार्यक्रम पदाधिकारी के माँग के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अनुरूप पौधा की आपूर्ति करनी होगी :–

पौधा आपूर्ति के लिये शर्त :–

(A) आम पौधा (Grafted) :–

1. आम का पौधा आम्रपाली, मल्लिका हिमसागर, लंगड़ा, मालदाह एवं गुलाबखास प्रजाति का ही हो।
2. आम पौधा का कलम सिर्फ Veneer graft पव्द्धति से तैयार किया हुआ होना चाहिए।
3. पौधे का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधे में किसी प्रकार का रोग/ बिमारी नहीं हो व उसमे कम–से–कम 2–3 स्वस्थ शाखाएँ निकला हो।
5. पौधो की उम्र कम–से–कम 2 वर्ष हो।
6. पौधे में जहाँ कलम (Grafting) किया गया हो उसके ऊपर (Scion) व नीचे के तने (Stock) की मोटाई समान हो।
7. तने (stock) की लम्बाई 1–1.5 फीट हो।
8. पौधा के थैला काला polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।

(B) अमरूद पौधा (Grafted/ Layered) :–

1. पौधा अलाहाबाद सफेदा, अल्का मृदुला व लखनऊ– 49 (L-49) प्रजाति का हीं हो।
2. पौधा कलमी या Air layering होना चाहिए।
3. पौधों का लम्बाई 2'6" से अधिक व 5' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों का उम्र कम से कम 01 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधों के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए। पौधा का जड़ स्वस्थ व अधिक घना हो।
7. पौधा में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2 से 3 Fluses निकला हो।

(C) <u>नींबू पौधा (Grafted/ Layered)</u> :–

1. पौधा सिर्फ कागजी एवं साई शर्वती प्रजाति का ही हो।
2. पौधा कलमी या Air layered हो।
3. पौधों का लम्बाई 2' से अधिक व 4' के बीच हो।
4. पौधों में किसी प्रकार का रोग/ बीमारी नहीं हो व उसमें कम से कम 2–3 स्वस्थ Flushes निकला हो।
5. पौधों का उम्र कम से कम 01 वर्ष से अधिक हो।
6. पौधों के थैला काला Polythene का हो व थैला (Black Polythene bag) का आकार 6"X7" से 9"X11" का होना चाहिए।

कोटेशन डालने हेतु शर्त्त :–

- कोटेशन **दिनांक–19.06.2020** से **दिनांक–26.06.2020** को पूर्वाह्न 11:00 बजे तक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, लातेहार के कार्यालय में प्राप्त किया जायेगा एवं **कोटेशन दिनांक–26.06.2020 को दोपहर 12:00 बजे** जिला क्रय समिति की उपस्थिति में निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी।
- आपूर्ति आदेश निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर सामग्रियों की आपूर्ति संबंधित प्रखण्ड के पंचायतों में अनिवार्य रूप से करना होगा, जिसके लिए अन्य कोई भत्ता/परिवहन व्यय देय नहीं होगा।
- ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा राज्य स्तर पर नर्सरियों के Empanelment के लिये प्रकाशित EOI के शर्त्त के कंडिका–28 में अंकित बिन्दु कि चयनित आपूर्तिकर्ता द्वारा मृत पौधा के क्षतिपूर्ति की भरपाई हेतु कुल आवश्यकता की संख्या के 5% अतिरिक्त पौधा निःशुल्क साथ में आपूर्ति की जायेगी।
- आपूर्ति की गई पौधा की मृत्यू यदि 06 माह के अन्दर होती है तो इसकी जवाबदेही आपूर्तिकर्ता की होगी तथा मृत पौधों का प्रतिस्थापन (Replacement) हेतु पौधा की आपूर्ति निःशुल्क आपूर्तिकर्ता द्वारा की जायेगी।
- आपूर्तिकर्ता द्वारा आपूर्ति की गयी पौधा यथा– आम, अमरूद एवं नींबू के पौधा गुणवतापूर्ण नहीं होने की स्थिति में पूर्ण जवाबदेही आपूर्तिकर्ता की होगी तथा जांचोपरांत विधिसम्मत कार्रवाई की जायेगी।
- आपूर्तिकर्त्ता को अग्रधन के रूप में 50,000/– (पचास हजार) रू0 का बैंक ड्राफ्ट उप विकास आयुक्त–सह–जिला कार्यक्रम समन्वयक, लातेहार के नाम से जमा करना होगा।
- कोटेशन स्वीकृत होने पर आपूर्तिकर्त्ता यदि समय सीमा के अन्दर पौधों की आपूर्ति नहीं करते हैं अथवा आपूर्ति में गड़बड़ी करते हैं, तो कोटेशन रद्द करते हुए जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी।
- सशर्त कोटोशन स्वीकार नहीं की जायेगी एवं बिना कारण बताए कोटेशन को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी/ विभाग के सक्षम पदाधिकारी के पास पूर्ण रूप से सुरक्षित रहेगा।
- वास्तविक आपूर्ति आदेश के आधार पर संबंधित पंचायत द्वारा बिल का भुगतान FTO के माध्यम से किया जायेगा।
- जिला क्रय समिति द्वारा निर्धारित दर अंतिम रूप से मान्य होगा।

861
17/06/2020

उप विकास आयुक्त–सह–
जिला कार्यक्रम समन्वयक,
लातेहार।